3/2023/1/378769/2023-31-1099/37/2021

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, ज़ोन, उ०प्र०**
5. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०**
6. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उ०प्र०।**
7. **समस्त पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।**
8. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।**
9. **समस्त कुलपति, विश्वविद्यालय/प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, उ०प्र०।**
10. **समस्त नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।**

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त, 2023**

विषयः प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।

महोदय,

प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को आमजन तक समयबद्ध, गुणवत्तापरक एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इस हेतु विभिन्न विभागों में सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण सर्वोच्च स्तर से किया जाना आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न विभागों की सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं को CM-डैशबोर्ड पर ऑनलाइन इन्टीग्रेट कर मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है तथा मॉनिटरिंग हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय (पंचम तल), लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ में मुख्यमंत्री कमाण्ड सैन्टर स्थापित किया गया है।

2. CM-डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के योगदान/प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

3. विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने अधीन संचालित सेवाओं/योजनाओं/ परियोजनाओं एवं कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग/समीक्षा हेतु CM-डैशबोर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। इस हेतु यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड पृथक से NIC द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे जो जनपद स्तर पर DIO-NIC के पास उपलब्ध रहेंगे। DIO-NIC द्वारा स्थानीय स्तर पर नवीन लॉगिन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पासवर्ड का निर्माण एवं प्रबन्धन किया जाएगा। विभागों के लॉगिन आई०डी० पासवर्ड नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

4. प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु सूचकांक के आधार पर जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग निर्धारण विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या 16/2020/378/31-2020/06/2017 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि CM-डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शित सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु दो प्राथमिक संरचनाएं यथा प्रशासनिक स्तर (जनपद/मण्डल स्तर) एवं विभागीय स्तर सम्मिलित की गई है, जिनकी रूप-रेखा निम्नानुसार होगीः

प्रशासनिक स्तर

जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों की विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था में विभिन्न स्तर के अधिकारियों की समीक्षा CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके कार्य में सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा।

4.1. जनपद स्तरीय बैठक

4.1.1 कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक पृथक-पृथक आहूत की जाए। यह बैठकें प्रत्येक माह CM-डैशबोर्ड पर मासिक रैंकिंग के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर आहूत की जाएं।

4.1.2 विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

4.1.3 जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, उन जनपदों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा हेतु पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी जिसमें अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी०जी०सी० एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे।

4.1.4 जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं है, उन जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक पुलिस लाइन पर की जाएगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी०जी०सी० एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून-व्यवस्था की बैठक स्वयं के स्तर पर जिलाधिकारी की बैठक से पूर्व कर ली जाए।

4.1.5 विकास कार्यों हेतु जनपद में मुख्य विकास अधिकारी CM-डैशबोर्ड के नोडल अधिकारी होंगे तथा कानून व्यवस्था हेतु जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त नोडल अधिकारी होंगे। राजस्व सम्बन्धी प्रोजैक्टों की समीक्षा किए जाने

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) सहायक नोडल अधिकारी होंगे। CM-डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (DEStO) तकनीकी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

4.2. मण्डल स्तरीय बैठक

4.2.1 कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक अलग-अलग रखी जाए। यह बैठकें प्रत्येक माह जनपद स्तरीय बैठकों के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर आहूत की जाएं।

4.2.2 विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आहूत की जाएगी। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं विकास कार्यों से सम्बन्धित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

4.2.3 कानून व्यवस्था की बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी जिसमें पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं मण्डल के अन्तर्गत जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिभाग करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध सम्बन्धी बैठक मण्डलायुक्त की बैठक से पूर्व कर ली जाए।

4.2.4 जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, उन जनपदों की कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक माह की जाएगी।

4.2.5 राजस्व एवं विकास कार्यों हेतु मण्डल में अपर आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे तथा कानून-व्यवस्था हेतु मण्डल में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा नामित अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

<u>विभागीय स्तर</u>

4.3. शासन एवं निदेशालय स्तर पर बैठक

शासन एवं निदेशालय स्तर पर विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/सेवाओं की समीक्षा बैठक प्रत्येक माह CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर की जाएगी।

5. जनपद/मण्डल/विभागवार ग्रेडिंग एवं रैंकिंग

CM-डैशबोर्ड पर इन्टीग्रेटेड विभागों की सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा गत माह में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी, जो प्रतिमाह 15 तारीख तक पोर्टल पर जारी की जाएगी। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग हेतु प्रणाली में अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में प्रदर्शित है।

5.1 **परफार्मेन्स इंडेक्स:** CM-डैशबोर्ड पर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का मानकीकरण करते हुए परफार्मेन्स इंडेक्स (PI) विकसित किया गया है।

5.2 **डाटा क्वालिटी इंडेक्स**: विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विकसित डाटा क्वालिटी इंडेक्स (DQI) में विभाग को प्राप्त स्टार रेटिंग को भी मासिक मूल्यांकन में प्रदर्शित किया जाएगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.3 **परफार्मेन्स इंडेक्स** एवं डाटा क्वालिटी इंडेक्स को सम्मिलित करते हुए शासन/निदेशालय की राज्य स्तरीय ग्रेडिंग प्रतिमाह जारी की जाएगी। शासन/निदेशालय की ग्रेडिंग में CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध समस्त प्रोजैक्ट सम्मिलित रहेंगे। प्रोजैक्टों की संख्या में भविष्य में परिवर्तन हो सकता है।

5.4 **फ्लैगशिप प्रोजैक्ट्सः** सरकार की प्राथमिकता के आधार पर कतिपय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है जिनकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों की रैंकिंग फ्लैगशिप प्रोजैक्ट्स में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। फ्लैगशिप प्रोजैक्टों की सूची में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्यरत मुख्यमंत्री कमाण्ड सैन्टर द्वारा नए प्रोजेक्ट जोड़े जा सकते हैं अथवा घटाए जा सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोजैक्ट्स विशिष्ट फ्लैग द्वारा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए गए हैं तथा उनकी सूची डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

5.5 इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों यथा पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, आदि की रैंकिंग उनके विभागीय प्रोजैक्टों (सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं) के आधार पर की जाएगी, जिसे भविष्य में घटाया/बढाया जा सकता है। भविष्य में इस प्रणाली में अन्य स्तरों यथा जनपद/तहसील/ब्लॉक/सर्किल/थानों आदि की भी रैंकिंग किए जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। भविष्य में विभागों द्वारा CM-डैशबोर्ड पर जनपद स्तरीय अधिकारियों की रैंकिंग के आधार पर आकलित गुणांक का प्रयोग मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण में किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/2023/405/सामान्य/सैंतालिस-का-4-2023-1(3)96 दिनांक 03 अगस्त, 2023 में प्रथम प्रस्तर में अंकित सारणी के बिंदु संख्या-8 "विभाग की विशेष कार्य प्रकृति के अनुसार" में उल्लिखित 25 अंक सीएम डैशबोर्ड पर संबंधित अधिकारी के प्रदर्शन के अनुसार आगणित किए जाएंगे।

5.6 CM-डैशबोर्ड पर किसी भी विभाग की ग्रेडिंग अथवा सेवा/योजना/परियोजना में टॉप परफार्मर विभाग/जनपद एवं बॉटम परफार्मर विभाग/जनपद को देखा जा सकेगा।

5.7 प्रणाली में यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (DEStO) विभिन्न प्रोजैक्टों के समक्ष रैंकिंग एवं KPIs के सम्बन्ध में आपत्ति/टिप्पणी अंकित कर सुरक्षित कर सकें ताकि उच्च स्तर से समीक्षा करते समय उन टिप्पणियों का संज्ञान लिया जा सके। समीक्षा हेतु निर्धारित फॉर्मेट पर रिपोर्ट/बुकलेट CM-डैशबोर्ड से प्राप्त की जा सकेगी।

5.8 डाटा की सुचिता सुनिश्चित करने के लिए शासन/निदेशालय स्तर से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। डाटा की एडवांस अथवा गलत रिपोर्टिंग को प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा एवं सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- कमाण्ड सैन्टर की प्रोजैक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से विभागों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी।

7- मुख्य सचिव द्वारा CM-डैशबोर्ड की मासिक समीक्षा की जाएगी।

8- CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न विभागों की सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं एवं ग्रेडिंग/रैंकिंग की प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन कार्यरत मुख्यमंत्री कमाण्ड सैन्टर द्वारा भी किया जा सकेगा।

9- CM-डैशबोर्ड से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु मुख्यमंत्री कमाण्ड सैन्टर के अधिकारियों से ई-मेल cmcommandcentre@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें तथा लोक शिकायत अनुभाग-5 मुख्यमंत्री कार्यालय के शासनादेश संख्या-1/2023/287/चौतीस-लो०शि०-05/2023-06/लो०शि०-2023, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 के क्रम में उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ०प्र०।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, मा० मंत्री०, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मा० राज्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट-1

CM-डैशबोर्ड में रैंकिंग एवं ग्रेडिंग प्रक्रिया

I. CMडैशबोर्ड में रैंकिंग एवं ग्रेडिंग प्रक्रिया निम्न्ानुसार रहेगीः-

क्र० सं०	स्तर/अधिकारी	प्रोजेक्ट्स जो मासिक रैंकिंग में जोड़े जाएंगे	मानक जिनके आधार पर मासिक रैंकिंग की जाएगी	रैंकिंग में मानकों का भारांक प्रतिशत (परिवर्तनीय)
1	शासन	समस्त प्रोजैक्ट्स	PI एवं DQI	50%+50%
2	निदेशालय	समस्त प्रोजैक्ट्स	PI एवं DQI	50%+50%
3	मण्डलायुक्त	फ्लैगशिप प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
4	जिलाधिकारी	फ्लैगशिप प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
5	पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	गृह विभाग के समस्त प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
6	नगर निगम	नगर विकास विभाग के समस्त प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
7	विकास प्राधिकरण	आवास विभाग के समस्त प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
8	विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा विभाग के समस्त प्रोजैक्ट्स	केवल PI	100%
नोट- 1. PI (Performance Index) प्रोजैक्ट में अधिकारी/विभाग के प्रदर्शन का मानक है।				
2. DQI (Data Quality Index) डाटा की गुणवत्ता का मानक है।				

- मात्र उन्हीं सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं को रैकिंग और ग्रेडिंग में शामिल किया जाएगा, जिनमें Derived KPI उपलब्ध हो।
- यदि किसी योजना/परियोजना में कई Derived KPI हैं, तो रैंकिंग और ग्रेडिंग की गणना प्राथमिक Derived KPI के आधार पर की जाएगी।
- रैंकिंग और ग्रेडिंग की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।
- रैंकिंग हेतु डिफाल्ट में सभी प्रोजेक्ट को समान भारांक में रखा गया है। यदि प्रशासकीय विभाग प्रोजेक्ट्स के मध्य अलग भारांक चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रशासकीय विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराकर यथावश्यक कार्यवाही कराएंगे।

- दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अन्तराल (Interval) को छोड़कर, अन्य अंतरालों (जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक) के लिए रैंकिंग/ग्रेडिंग की गणना अगले अन्तराल तक उपलब्ध डेटा के आधार पर की जाएगी।

II. राज्य स्तरीय ग्रेडिंग और रैंकिंगः

- यदि विभाजक (Denominator)/लक्ष्य (Target) का मान शून्य (0) है तो राज्य स्तरीय रैंकिंग के लिए शून्य (0) अंक तथा राज्य स्तरीय ग्रेडिंग के लिए शून्य (0) अंक निर्धारित किए जाएंगे तथा ग्रेड 'डी' आवंटित किया जाएगा।
- यदि निर्धारित तिथि तक डेटा उपलब्ध नहीं है, तो राज्य स्तरीय रैंकिंग के लिए शून्य (0) अंक दिए जाएंगे और राज्य स्तरीय ग्रेडिंग के लिए ग्रेड 'डी' दिया जाएगा।

III. जनपद/मण्डल एवं अन्य स्तरीय ग्रेडिंग और रैंकिंगः

- यदि विभाजक (Denominator)/लक्ष्य (Target) का मान शून्य (0) है तो योजना/परियोजना को जिला स्तरीय रैंकिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- यदि निर्धारित तिथि तक डेटा उपलब्ध नहीं है, तो योजना/परियोजना को जिला स्तरीय रैंकिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

CM-डैशबोर्ड की कार्यप्रणाली

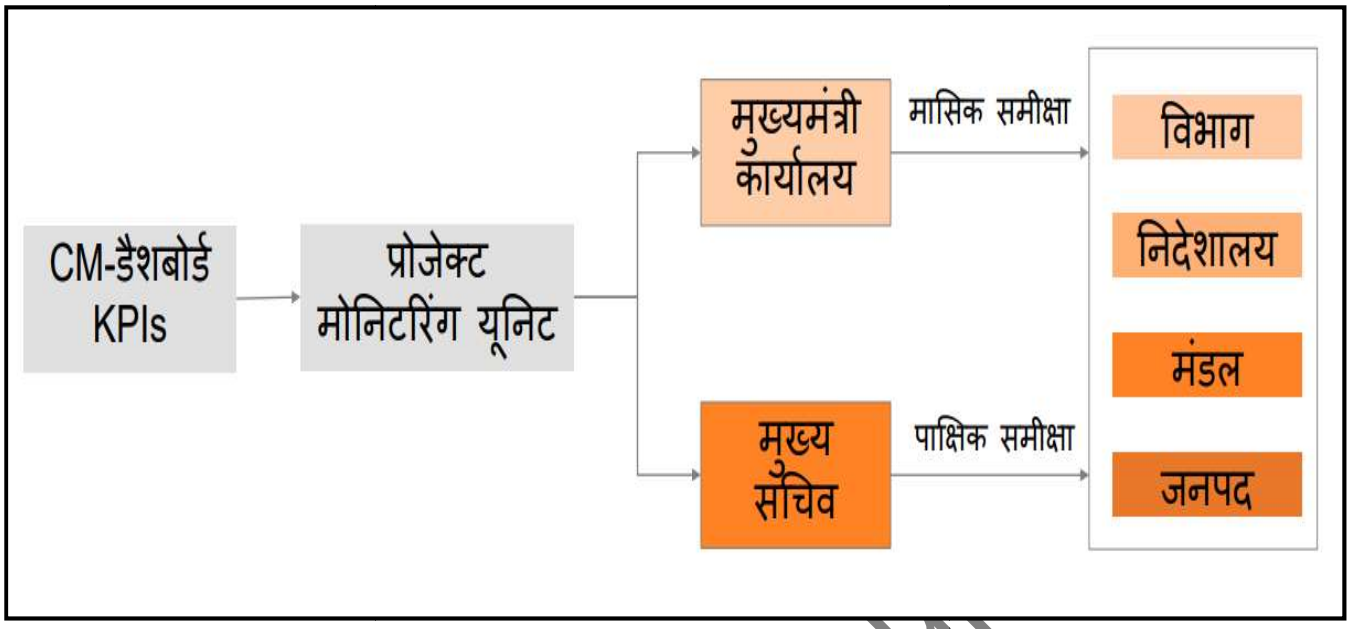

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश **इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,** अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

CM-डैशबोर्ड पर प्रोजैक्ट की टाइल का प्रारूप

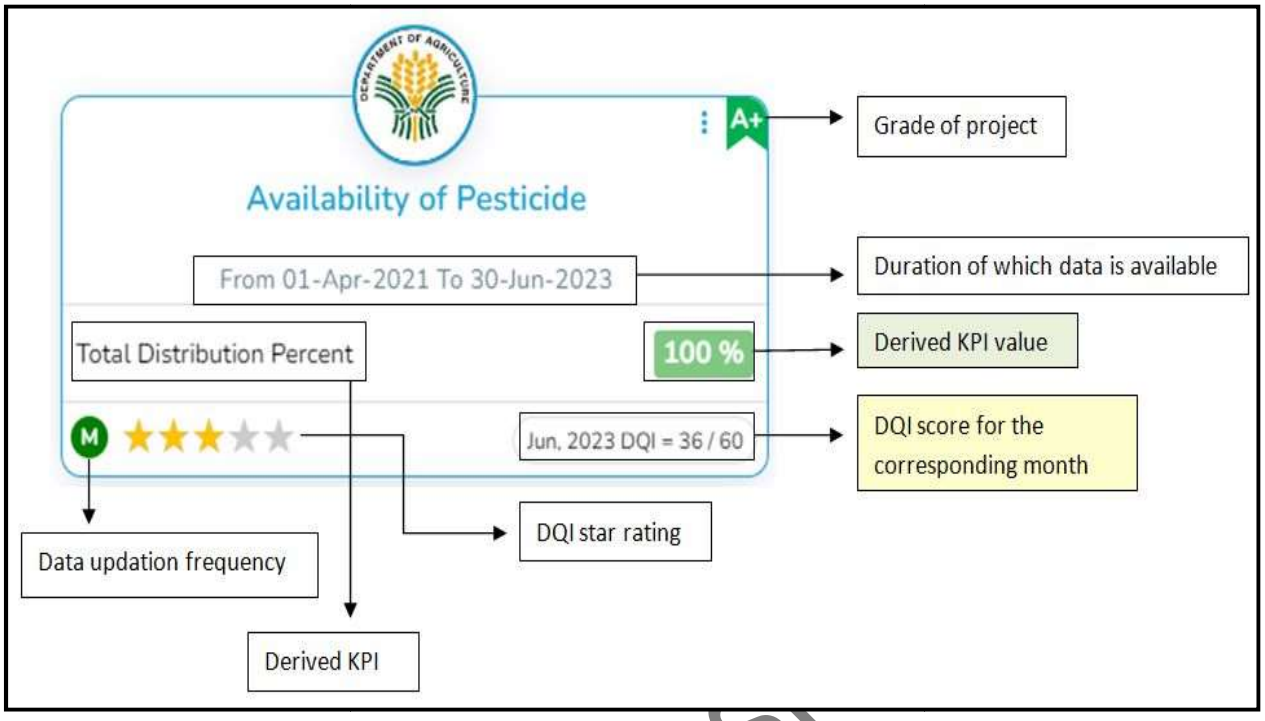

परफॉरमेंस इंडेक्स

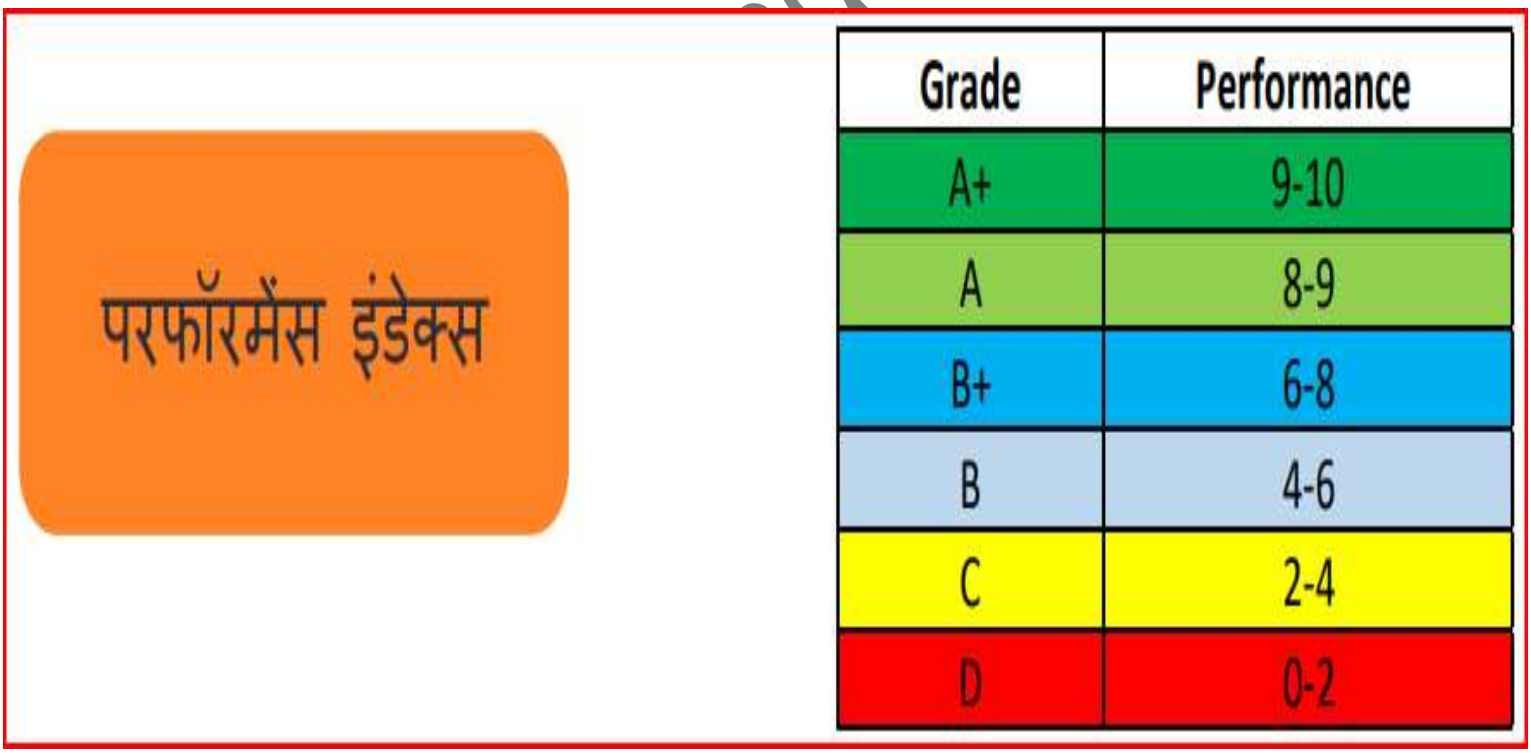

Grade	Performance
A+	9-10
A	8-9
B+	6-8
B	4-6
C	2-4
D	0-2

1- यह शासनादेश **इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

राज्य स्तरीय ग्रेडिंग एवं स्टार रेटिंग का प्रारूप

UP CM DARPAN Dashboard
Monthly Grading of Departments
Report Of Month : June, 2023

Sr. No.	Department Grade (for overall performance)	DQI Star Rating (with score for Data Quality)	
	A+		
1	Additional Energy	★★★★★	60/60
2	Excise	★★★★★	60/60
3	Medical Education	★★★½☆	43/60
4	Secondary Education	★★★★★	57.91/60
5	Sport	★★★★½	54/60
6	Stamp and Registration	★★★★☆	50/60
7	Sugar Industry and Cane Development	★★½☆☆	28.75/60
8	Vocational Education & Skill Development	★★★★☆	49.58/60
	A		
9	Animal Husbandry	★★★★★	57.4/60
10	Consumer Protection & Weights Measures	★★★★★	59.86/60
11	Cooperative	★★★★★	60/60
12	Energy	★★★★☆	45.85/60
13	Environment,Forest and Climate Change	★★★★½	54.62/60
14	Food and Civil Supply	★★★★½	54.11/60
15	Information	★★★★½	53.33/60
16	Labour and employment	★★★★☆	45.6/60
17	Social welfare	★★★½☆	42.78/60
18	State Tax	★★★★★	56.67/60
	B+		
19	Agriculture Marketing & Foreign Trade	★★★★☆	47.17/60
20	Finance	★★★☆☆	35.67/60
21	Food and Drug Administration	★★½☆☆	31.25/60
22	Higher Education	★★★☆☆	36.4/60
23	Home	★★★☆☆	38.46/60
24	Housing	★★☆☆☆	26.36/60
25	Irrigation and Water Resources	★★★★½	53.33/60
26	Medical & Health	★★☆☆☆	19.32/60
27	Revenue and Disaster Management	★★★½☆	41.1/60

1- यह शासनादेश **इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।